

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 1796/योजना/एनआर-1/MGNEGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 26/02/2010

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला समस्त
मध्यप्रदेश

- विषय: MGNREGS-MP के अंतर्गत दिनांक 8 मार्च, 2010 को "विशेष ग्रामसभा" आयोजित करने के संबंध में।

संदर्भ: सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ-16-322009/22/
पं.-2 दिनांक 17. फरवरी, 2010

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2010 (अंतराष्ट्रीय महिला दिवस) को "विशेष ग्राम सभा" का आयोजन किया जा रहा है। कृपया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश के अंतर्गत निम्नानुसार प्रस्ताव को ग्रामसभा में आवश्यक रूप सम्मिलित करें :-

1. वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन।
2. वर्ष 2013 की ग्रामीण सड़क सम्पर्क।
3. समेकित ग्राम विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन कराना।
4. सामाजिक अंकेक्षण (वर्ष 2009-10 के अंतर्गत समस्त प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण किया जाये)

उपरोक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. के अंतर्गत ऐसे प्रस्ताव जो कि ग्राम सभा से अनुमोदित किया जाना है। उन प्रस्तावों को ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित करें।


(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

P.T.O.

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, पंचायती राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उपायुक्त (विकास) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल